न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित तारा चन्द मीणा आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 12/2020 अपील (राजस्व)

श्री नाथूलाल ब्राह्मण पिता डालचन्द ब्राह्मण निवासी ओरडी–ए, डबोक, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज.)

—— अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार, मावली, उदयपुर (राज.)

—— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनिमय विरूद्ध निर्णय तहसीलदार मावली दिनांक 27.02.2020 प्र.स. 437/2020

उपस्थित : श्री हेमराज बंजारा, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 31.01.2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनिमय विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार मावली दिनांक 27.02.2020 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित रास्ता अपीलाण्ट के खातेदारी से मिला हुआ है एवं अपीलाण्ट ने उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण कर कब्जा नहीं किया है। अपीलाण्ट द्वारा वर्तमान में जो पक्की बाउण्ड्रवॉल बनाई गई है जहां पर पूर्व में कच्ची बाउण्ड्रवॉल थी तथा कच्चे भाटे की कोट थी जो जर्जर अवस्था में व गिरने की अवस्था में थी जिस वजह से जान माल का नुकसान हो सकता था। इसी बात को ध्यान मे रखते हुए अपीलाण्ट ने उसी कच्ची बाउण्ड्रीवॉल के स्थान पर नई बाउण्ड्रीवॉल बनाई है उसमें किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण अपीलाण्ट द्वारा नहीं किया गया है जो रास्ता पूर्व में निर्धारित था वहीं पर है। अपीलाण्ट ने उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण कर कब्जा नहीं किया है। अपीलाण्ट द्वारा वर्तमान में जो पक्की बाउण्ड्रीवॉल बनाई गई है जहां पर पूर्व में कच्ची बाउण्ड्रीवॉल थी तथा कच्चे भाटे की कोट थी जो जर्जर अवस्था व गिरने की अवस्था में थी जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:15:33 IST
Reason: SelfAttested

वजह से जान माल का नुकसान हो सकता था। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो रास्ता पर अतिक्रमण बताया गया है वह रास्ता भी अपीलाण्ट के खातेदारी में से ही है, केवल मात्र ग्राम पंचायत की दुर्भावनावश ही अपीलाण्ट के विरूद्ध झूठी अतिक्रमण की कार्यवाही माननीय तहसीलदार द्वारा करवाई गई है, जो कि गलत है। अपीलाण्ट की जो कच्ची बाउण्ड्रीवॉल है वह लगभग 60–70 वर्षो से ही अपने पूर्वजों के द्वारा निर्माण करवाई गई थी जो लगातार स्थाई रूप से बाउण्ड्रीवाल चली आ रही थी। अपीलाण्ट ने केवल मात्र उसी पुरानी बाउण्ड्रीवॉल को गिराकर उसी स्थान पर नई पक्की बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कराया है। अपीलाण्ट द्वारा नई बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण करने मे आम रास्ते पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है जो पूर्व में अपीलाण्ट एंव अपीलाण्ट के पूर्वजों के समय से जो रास्ता अपने खातेदारी मे से ही काट कर निकाला गया था वही रास्ता आज उसी जगह पर है, वहां पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को बिना सुने ही निर्णय पारित कर दिया है जो कि गलत है। अपीलाण्ट को एवं अपीलाण्ट के द्वारा प्रस्तुत गवाहों को सुनने का मौका ही नहीं दिया गया है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 17.02.2020 को धारा 91 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत नोटिस दिया गया और 27.02.2020 को सुनवाई की तारीख नियत की गई और माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी दिखाते हुए अपीलाण्ट को गवाह प्रस्तुत करने का मौका ही नहीं दिया और 27.02.2020 को तुरंत निर्णय पारित कर दिया जो पूर्णतया सन्देहास्पद प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का कथित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। पैरोकार सरकार द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा नई बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण करने मे आम रास्ते पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है जो पूर्व में अपीलाण्ट एंव अपीलाण्ट के पूर्वजों के समय से जो रास्ता अपने खातेदारी मे से ही काट कर निकाला गया था वही रास्ता आज उसी जगह पर है, वहां पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को बिना सुने ही निर्णय पारित कर दिया है जो कि गलत है। अपीलाण्ट को एवं अपीलाण्ट के द्वारा प्रस्तुत गवाहों को

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:15:33 IST
Reason: SelfAttested

सुनने का मौका ही नहीं दिया गया है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 17.02.2020 को धारा 91 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत नोटिस दिया गया और 27.02.2020 को सुनवाई की तारीख नियत की गई और माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी दिखाते हुए अपीलाण्ट को गवाह प्रस्तुत करने का मौका ही नहीं दिया और 27.02.2020 को तुरंत निर्णय पारित कर दिया जो पूर्णतया सन्देहास्पद प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का कथित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर अधिवक्ता अपीलाण्ट के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा पुराने कब्जे के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। भूमि बिलानाम रास्ता होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय 1955 की धारा 16(6) के अंतर्गत रास्ते की भूमि का नियमन/आवंटन नहीं किया जा सकता है। अतः तहसीलदार मावली द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत होकर उसके किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब मे ही अतिक्रमण की पुष्टि की जा रही है। अपीलार्थी ने वर्षो पुराने कब्जे एवं स्वयं की खातेदारी भूमि होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज या साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किये गये है जिससे यह साबित होता है कि वह भूमि उसकी खातेदारी भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय 1955 की धारा 16(6) के अंतर्गत रास्ते की भूमि का नियमन/आवंटन नहीं किया जा सकता है।

उक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का मत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिक रूप से सही होकर उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइंश नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपीलाण्ट रेकर्ड में किसी प्रकार की त्रुटि के संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर,
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:15:33 IST
Reason: SelfAttested